1/11

भारत डायनामिक्स लिमिटेड
BHARAT DYNAMICS LIMITED
कंचनबाग :: हैदराबाद
KANCHANBAGH: :HYDERABAD

निगम - का. एवं प्रशा. CORPORATE – P&A

संदर्भ Ref: बीडीएल/04/नि - का. एवं प्रशा. BDL/04/C-P&A　　　　दिनांक Date: 02-04-2015

परिपत्र CIRCULAR

का.परि.नं. PC No.06/2015, दि.dt: 02-04-2015

विषय : दि. 01 जनवरी 2007 को / के बाद सेवानिवृत्त / सेवानिवृत्त होने जा रहे कार्यपालकों के लिए "बीडीएल कार्यपालक अधिवर्षिता पश्चात चिकित्सा सुविधा योजना" का आरंभ

Sub : Introduction of "BDL Executives Post Superannuation Medical Benefit (PSMB-II) Scheme" for Executives retired/retiring etc on or after 01 Jan 2007

***

प्रबंधन, दि. 01 जनवरी 2007 को / के बाद सेवानिवृत्त / सेवानिवृत्त होने जा रहे कार्यपालकों के लिए "बीडीएल कार्यपालक अधिवर्षिता पश्चात चिकित्सा सुविधा योजना" के आरंभ की घोषिणा करता है. योजना की विशेषताएँ अनुलग्नक-I में सूचित की गई हैं. इस योजना के तहत सभी लाभ 04 अप्रैल, 2015 से देय होंगे.

Management is pleased to notify introduction of Post Superannuation Medical Benefit Scheme (PSMB-II) in respect of the Executives retired/retiring on or after 01 Jan 2007. Salient features of the scheme are indicated in Annexure-I. Benefits under the Scheme would be available w.e.f. 04 April 2015.

2. प्रति वर्ष योजना के तहत देय लाभ में अंतर हो सकता है क्योंकि कॉर्पस के लिए दिया जाने वाला अंशदान कंपनी द्वारा अर्जित लाभ, सामर्थ्य एवं सातत्यता पर निर्भर है.

Benefits under the Scheme may vary from year to year, as contribution to the Corpus is dependent on Profits generated, affordability & sustainability by the Company.

3. इस योजना के लिए निर्धारित निधि का प्रबंधन कंपनी द्वारा गठित न्यास द्वारा किया जाएगा.

The Funds earmarked towards the Scheme will be managed by a Trust constituted by the Company.

4. मेसर्स न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को बीमा कंपनी के रूप में चयित किया गया है जो पहले साल के लिए बीमा व्याप्ति देगी.

M/s. New India Assurance Company ltd. has been selected as the Insurance Company for providing insurance coverage for the first year.

5. योजना लागू होने की तारीख से पूर्व सेवानिवृत्त अहर्य कार्यपालकों को "BDL Executives Post Superannuation Medical Benefit (PSMB-II) Fund" के नाम आंध्रा बैंक, बीडीएल कैंपस, कंचनबाग, हैदराबाद में भरे चालान के मार्ध्यम से रु. 100/- प्रति सदस्य (सेवानिवृत्त कार्यपालक एवं पति/पत्नी के लिए रु. 200/-) का एक बारगी पंजीकरण शुल्क देना होगा.

Eligible members who have retired before the date of introduction of the Scheme will have to deposit the one-time Registration Fee of Rs.100/- per Member (Rs.200/- for the retired Executive & Spouse) through a challan in Andhra Bank, BDL Campus, Kanchanbagh, Hyderabad, in favour "BDL Executives Post Superannuation Medical Benefit (PSMB-II) Fund".

Contd..

6. योजना लागू होने के बाद योजना में नामांकन करने वाले नए सदस्यों को "BDL Executives Post Superannuation Medical Benefit (PSMB-II) Fund" के नाम आंध्रा बैंक, बीडीएल कैंपस, कंचनबाग, हैदराबाद में भरे हैदराबाद में देय चालान के माध्यम से रु. 100/- प्रति सदस्य (सेवानिवृत्त कार्यपालक एवं पति/पत्नी के लिए रु. 200/-) का एक बारगी पंजीकरण शुल्क संबद्ध प्रभागीय का. एवं प्रशा. में देना होगा.

New members who would enroll to the Scheme after the date of introduction of the Scheme need to pay one-time Registration Fee of Rs.100/- per Member (Rs.200/- for the retired Executive & Spouse) to the respective Divisional P&A through a challan or DD drawn in favour of "BDL Executives Post Superannuation Medical Benefit (PSMB-II) Fund" payable at Hyderabad along with the Enrolment Form. P&A would verify the eligibility of the applicants before enrolling them under the Scheme.

7. इस योजना के लागू होने के बाद पी एस एम बी - II के हितभागियों के लिए दि. 12 जून, 1997 की कार्मिक परिपत्र सं. बीडीएल/04/नि/24/97 के तहत अधिसूचित एवं लागू सेवानिवृत्त कर्मचारी चिकित्सा बीमा (रेमी) योजना जारी नहीं रखी जाएगी.

Consequent to implementation of the scheme, facilities available under the existing Retired Employees Medical Insurance (REMI) Scheme notified vide Personnel Circular No.BDL/04/CORP/24/97 dated 12 June 1997, will be discontinued in respect of the beneficiaries under the PSMB-II scheme.

(डॉ. एन के राजू Dr. N K Raju)

अधिशासी निदेशक (का. एवं प्रशा.) Executive Director (P&A)

मानक वितरणार्थ STANDARD DISTRIBUTION.

अनुलग्नक ANNEXURE-I

01 जनवरी, 2007 को या इसके बाद सेवानिवृत्त कार्यपालक के लिए "बीडीएल कार्यपालक अधिवर्षिता पश्चात चिकित्सा लाभ योजना"

1. शीर्षक :

1.1 इस योजना को **01** जनवरी, 2007 को या इसके बाद सेवानिवृत्त / सेवानिवृत्त होने जा रहे कार्यपालक के लिए "बीडीएल कार्यपालक अधिवर्षिता पश्चात चिकित्सा लाभ योजना" कहा जाएगा.

1.2 '01 जनवरी, 2007 पश्चात सेवनिवृत्त कार्यपालक' का प्रयोग हितभागी को सूचित करने के लिए किया जाएगा.

2. योजना का विस्तार एवं व्याप्ति :

2.1 इस योजना के तहत बोर्ड स्तर के कार्यपालक सहित सभी कार्यपालक जिन्होंने कंपनी में 15 साल के सेवाकाल के बाद 01 जनवरी, 2007 को या इसके बाद सेवानिवृत्त / वैकल्पिक सेवानिवृत्ति का विकल्प लिया हो उन्हें शामिल किया जाएगा. साथ ही इनके पति / पत्नी को भी शामिल किया जाएगा. दीर्घ अस्वस्थता के कारण 15 साल के सेवाकाल पूरा होते या न होते हुए भी कंपनी की सेवाओं से मुक्त कार्यपालक एवं उनके पति / पत्नी को भी इस योजना में शामिल किया जाएगा.

2.2 निम्नलिखित संदर्भों में भी योजना के तहत व्याप्ति मिलेगी.

2.2.1 न्यूनतम सेवाकाल अनिवार्यता को पूरा न करते हुए भी 01 जनवरी, 2007 को या इसके बाद सेवाकाल के दौरान ही मृत्यु प्राप्त कार्यपालक के विधवा / विधुर,

2.2.2 योजना के तहत सदस्यता प्राप्त कार्यपालकों के विधवा / विधुर इस योजना के तहत लाभ के लिए अर्हय रहेंगे.

2.2.3 अन्य सीपीएसई से कंपनी में भर्ती हुए कार्यपालकों के संदर्भ में इस योजना के तहत लाभ प्राप्त करने न्यूनतम 15 साल सेवाकाल अनिवार्यता की गणना करते समय सीपीएसई (बीडीएल सहित) में निर्बाध रूप से किए गए सेवाकाल को गिना जाएगा.

2.3 यह योजना निम्नलिखित संदर्भों में लागू नहीं होगी.

2.3.1 कार्यपालक जिन्होंने इस्तीफा दी / परार या सेवासमाप्त / बरख़ास्त कार्यपालक.

2.3.2 01 जनवरी, 2007 के बाद सेवानिवृत्त कार्यापालक जो ऊपर उल्लिखित न्यूनतम सेवा अर्हयता मानदण्ड को पूरा नहीं करते हैं.

2.3.3 कार्यपालक जो अपने पति / पत्नी / संतान इत्यादि के नियोक्ता द्वारा उपलब्ध कराई गई चिकित्सा लाभ योजना के तहत शामिल हैं.

3. योजना के तहत कॉर्पस के लिए कंपनी का अंशदान

3.1 योजना के लिए कंपनी का अंशदान, कार्यपालक के महँगाई भत्ता सहित मूल वेतन पर 3% की दर से होगा जो 01 जनवरी, 2007 से देय होगा.

3.2 बीडीएल कार्यपालक अधिवर्षिता पश्चात चिकित्सा लाभ (पीएसएमबी - II) गैर सांविधिक है इसलिए यह योजना भुगतान किए जाने के सामर्थ्य, सातत्यता एवं क्षमता पर निर्भर है. अतः कंपनी की ओर से दिए जाने वाले अंशदान का कोई गारंटी नहीं है. इसे घटाया जा सकता है या अस्वीकार भी किया जा सकता है.

4. नीति के तहत संपूर्ण बीमा व्याप्ति :

4.1 सेवानिवृत्त कार्यपालक एवं उनके पति / पत्नी को संयुक्त रूप से उपर्युक्त अनुच्छेद 2.1 एवं 2.2 में सूचित अनुसार अस्थाई / चालायमान आधार पर इन-पेशेंट चिकित्सा के लिए रु. 3 लाख एवं आउट-पेशेंट चिकित्सा के लिए रु. 15,000 प्रति वर्ष की बीमा नीति कराई जाएगी. इस प्रयोजन के लिए परिवार का अर्थ है सेवानिवृत्त कर्मचारी तथा उनके पति /पत्नी या उत्तरजीवी. कार्यपालक जिनका विवाह नहीं हुआ उनके संदर्भ में परिवार का मतलब केवल निवृत्त कर्मचारी ही है.

4.2 बीमा व्याप्ति भारत के ही भीतर देय होगी.

4.3 व्याप्ति में कोई प्रवेश एवं निकासी आयु सीमा नहीं होगी.

4.4 पूर्ववर्ती बीमारी को इस योजना में शामिल कर दिया जाएगा.

4.5 चिकित्सा के लिए प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है. योजना लागू होने की तिथि से लेकर सुविधाएँ उपलब्ध कराई जाएंगी. इसी तरह योजना आरंभ होते ही सभी बीमारियों को चिकित्सा के लिए शामिल किया जाएगा.

4.6 आउट पेशेंट चिकित्सा व्याप्ति:

4.6.1 सेवानिवृत्त कार्यपालक एवं उनके पति / पत्नी के लिए परिवर्तनीय आधार पर रु. 15,000/- प्रति वर्ष का ओ पी चिकित्सा व्यय हितभागियों द्वारा लिया जा सकता है. नकद रहित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध न होने की स्थिति में चिकित्सा के लिए किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति बीमा कंपनी द्वारा योजना के विस्तार के तहत की जाएगी.

4.6.2 बीमा कंपनी को प्रत्येक सदस्य / पति / पत्नी के लिए प्रस्तुत किए जाने वाले दावे, तीन महीने में एक बार या रु. 3000/- का कुल व्यय होने के बाद, जो पहले हो, प्रस्तुत किया जाए. ओ पी चिकित्सा के लिए व्यय करने के छः महीने के अंदर उसकी प्रतिपूर्ति के लिए दावा किया जाना होगा.

4.7 अपवर्जन :

4.7.1 योजना के तहत अपवर्जन बामा कंपनी द्वारा जारी परिचय पुस्तिका में सूचित, समय-समय पर संशोधित आई आर डी ए दिशानिर्देशानुसार किया जाएगा.

5. **योजना का पंजीकरण एवं कार्यान्वयन**:

5.1 योजना के तहत सुविधा प्राप्त करने के लिए 01 जनवरी, 2007 को या इसके बाद सेवानिवृत्त / सेवानिवृत्त होने जा रहे कार्यपालक एवं उनके पति / पत्नी को नामांकन फार्म (परिशिष्ट - ए में संलग्न) भरकर अपना नामांकन करवाना होगा तथा इसके समर्थन में निर्धारित दस्तावेज / पहचान साक्ष्य की प्रतियाँ प्रस्तुत करनी होंगी. साथ ही, प्रत्येक व्यक्ति के लिए रु. 100/- (सेवानिवृत्त कार्यपालक एवं उनके पति /पत्नी के लिए रु. 200 /-) का एक बारगी पंजीकरण शुल्क का भुगतान करना होगा. सेवानिवृत्त हो चुके कार्यपालकों द्वारा 15 मई, 2015 तक अंत में उनके कार्यरत विभाग / कार्यालय में फार्म प्रस्तुत करना होगा. प्रभागीय का. एवं प्रशा. द्वारा आवेदकों की पहचान की जाँच कर, योजना के तहत इनके नामांकन के लिए आवेदन अग्रेषित किए जाएंगे.

5.2 पंजीकरण शुल्क का भुगतान:

5.2.1 योजना आरंभ होने के बाद सेवानिवृत्त होने जा रहे कार्यपालकों को सेवानिवृत्त होने से 15 दिन के पहले अपने प्रभाग / कार्यालय में चालान / डीडी के माध्यम से पंजीकरण शुल्क भरना होगा. भुगतान साक्ष्य को नामांकन फार्म के साथ संलग्न करना होगा.

5.2.2 अर्हय हितभागियों द्वारा प्रत्येक सदस्य के लिए रु. 100/- का एक बारगी पंजीकरण शुल्क "बीडीएल कार्यपालक सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा लाभ (पीएसएमबी - II) निधि" के नाम हैदराबाद में देय चेक / डीडी के माध्यम से भरना होगा.

6 बीमा कंपनी:

6.1 पहले साल योजना के कार्यान्वयन के लिए मेसर्स. न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को चयित किया गया है.

6.2 बीमा कंपनी द्वारा योजना चलाई जाएगी.

7 नेटवर्क अस्पताल Network Hospitals :

7.1 बीमा कंपनी के कुछ नेटवर्क अस्पताल होंगे जहाँ चिकित्सा कराई जा सकती है. बीमा कंपनी द्वारा जारी परिचय पुस्तिका में नेटवर्क अस्पतालों की सूची दी जाएगी. बीडीएल वेबसाईट (www.bdl.ap.nic.in) पर इस सूची का अद्यतन किया जाएगा.

7.2 नेटवर्क अस्पतालों में नकद रहित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध रहेगी.

a) हितभागी द्वारा नकद रहित चिकित्सा करवाने बीमा कंपनी से प्राधिकरण प्राप्त करने के लिए नेटवर्क अस्पताल / परिचय पुस्तिका में दिया जाने वाला "पूर्व प्राधिकरण फार्म" भरना होगा. योजना के तहत जारी पहचान पत्र की एक प्रति तथा फोटो पहचान पत्र (जैसे पासपोर्ट, वोटर आई डी कार्ड, पैन कार्ड, आधार कार्ड, ड्रायविंग लैसेंस इत्यादि) की एक प्रति के साथ यह प्राधिकरण पत्र अस्पताल में शरीक होते समय नेटवर्क अस्पताल में देना होगा. बीमा कंपनी द्वारा बीमा योजना के तहत अर्हय मामलों के लिए नेटवर्क अस्पताल में "नकद रहित चिकित्सा" की अनुमति दी जाएगी.

b) किसी कारणवश नेटवर्क अस्पताल में "नकद रहित चिकित्सा" को अस्वीकार किया जाता है तो चिकित्सा के लिए पैसे भरकर तदुपरान्त अपनी अर्हयता के अनुसार बीमा कंपनी से प्रतिपूर्ति के लिए दावा किया जा सकता है.

c) हितभागी द्वारा पंजीकरण शुल्क, विलास शुल्क, दस्तावेजीकरण शुल्क जैसी अनर्हय / नामंजूर राशि तथा योजना की व्याप्ति में न आने वाले गैर-चिकित्सा व्यय अस्पताल से छुट्टी लेते समय भरना होगा.

7.3 नेटवर्क अस्पताल से इतर अस्पताल में चिकित्सा करवाना

7.3.1 नेटवर्क अस्पताल की बजाए किसी अन्य अस्पताल में चिकित्सा करवाई जाती है तो चिकित्सा व्यय का भुगतान हितभागी द्वारा किया जाना होगा तथा बीमा कंपनी से अपनी अर्हयता के अनुसार प्रतिपूर्ति की माँग कर सकते है बशर्ते कि चिकित्सा के समय बीमा कंपनी को इसकी सूचना दी गई हो.

8. योजना के तहत लाभ:

8.1 योजना के तहत लाभ 04 अप्रैल, 2015 से प्राप्त किए जा सकते हैं.

8.2 वर्ष दर वर्ष योजना के तहत दिए जाने वाले लाभ में अंतर हो सकता है क्योंकि निधि के लिए अंशदान का भुगतान कंपनी की सामर्थ्य एवं सातत्यता भर निर्भर है.

8.3 योजना के तहत बीमा व्याप्ति में किसी भी प्रकार का परिवर्तन सीएमडी के अनुमोदन से किए जाएंगे.

9. प्रतिपूर्ति-दावा निपटान:

9.1 दावा निपटान / प्रतिपूर्ति से संबद्ध प्रक्रिया का विस्तृत विवरण परिचय पुस्तिका में सूचित किया जाएगा जिसे बीमा कंपनी हितभागी को जारी करेगी.

10. **निधि एवं न्यास का प्रबंधन :**

10.1 कंपनी ने अधिवर्षिता पश्चात चिकित्सा लाभ (पीएसएमबी - II) निधि के प्रबंधन के लिए मेसर्स भारतीय जीवन बीमा निगम लिमिटेड को चयित किया है. भविष्य में आवश्यक समझे जाने पर निधि प्रबंधक को बदला जा सकता है.

10.2 इस योजना के लिए निर्धारित निधि का प्रबंधन कंपनी द्वारा गठित न्यास द्वारा किया जाएगा जो निम्न प्रकार है:

10.2.1 न्यास का गठन आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के तहत अप्रतिसंहरणीय न्यास के रूप में किया जाता है. न्यास का नाम "बीडीएल कर्मचारी अधिवर्षिता न्यास" होगा.

10.2.2 "बीडीएल कर्मचारी अधिवर्षिता न्यास" नाम का न्यास, योजना के कार्यान्वयन एवं निधि के प्रबंधन के लिए उत्तरदायी होगा; कंपनी से अंशदान प्राप्त करना तथा बीमा व्याप्ति के लिए प्रीमियम के रूप में बीमी कंपनी को भुगतान करना; निधि प्रबंधक के साथ यदि कोई अतिरिक्त निधि है तो समय-समय पर कंपनी द्वारा अधिसूचित नियमावली के साथ-साथ योजना के प्रावधानानुसार उसका निवेश इत्यादि.

10.2.3 निधि प्रबंधक, अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए सरकार / आई आर डी ए द्वारा जारी विनियमों के अनुसार निधि का निवेश करेगा.

10.2.4 न्यास द्वारा प्राप्त पूरा धन न्यासी के संरक्षण में होगा तथा न्यासी को अंशदान, ब्याज, निवेश या निधि की पुनःप्राप्ति से प्राप्त ऐसे धन का आयकर अधिनियम / नियमावली के प्रावधानानुसार प्रयोग करने का अधिकार होगा.

11. **क्षेत्राधिकार:**

11.1 यह योजना यथा संशोधित भारतीय बीमा अधिनियम, 1938, आयकर अधिनियम, 1961 तथा इसके बाद जारी किसी भी विधि के अधीन होगी. योजना के तहत सभी लाभ भारत में ही देय होंगे. इस नियमावली में या किसी संशोधन का कोई भी अंश आयकर अधिनियम, 1961 या आयकर अधिनियम 1962 या इसमें किए गए संशोधनों के किसी प्रावधान या प्रावधानों के विरुद्ध हो तो उस हद तक वह अंश प्रभावी नहीं होगा. न्यासी, आयकर आयुक्त के निर्देशानुसार ऐसे विरुद्ध अंश हटा देंगे.

11.2 किसी प्रकार का विवाद हैदराबाद न्यायालय, तेलंगाना राज्य, भारत के क्षेत्राधिकार में होगा.

12. **व्याख्या Interpretation:**

12.1 योजना की सदस्यता की यह शर्त होगी कि योजना के प्रावधान की व्याख्या से संबद्ध किसी भी बिंदू या सदस्यता की समाप्ति से संबद्ध किसी भी बिंदू को लेकर उत्पन्न सवाल के संदर्भ में न्यास का निर्णय ही अंतिम और बाध्य होगा. यदि लिए गए निर्णय, आयकर अधिनियम, 1961 या किए गए संशोधन से संबंधित हो तो इसकी सूचना आयकर आयुक्त को देंगे और यदि आयकर आयुक्त का निदेश हो तो न्यासी अपने निर्णय का पुनरीक्षण करेंगे.

13. **सामान्य General:**

13.1. दुर्भाग्यवश हितभागियों में किसी एक की मृत्यु हो जाने पर जीवित हितभागी द्वारा रिकार्डो की अद्यतन के लिए इस घटना के बारे में संबद्ध प्रभाग / कार्यालय को सूचित करना होगा. हितभागी को अपने परिजनों से कहना होगा कि यदि दुर्भाग्यवश दोनों हितभागियों की मृत्यु हो जाए तो इसके बारे में तुरन्त बीडीएल को सूचित करें.

13.2 यह योजना लागू होते ही 01 जनवरी, 2007 के बाद सेवानिवृत्त कायापालकों के संबंध में सेवानिवृत्त कर्मचारी चिकित्सा बीमा योजना के तहत दिए जाने वाले सभी लाभ रोक दिए जाएंगे.

******

परिशिष्ट - ए APPENDIX-A

नामांकन फार्म ENROLMENT FORM

दिनांक Date :

कार्मिक एवं प्रशासन प्रधान The P&A Head,
भारत डायनामिक्स लिमिटेड Bharat Dynamics Limited,
_______________प्रभाग / कार्यालय Division/Office.
_____________________________.

महोदय Dear Sir,

विषय :01 जनवरी, 2007 के बाद सेवानिवृत्त कार्यपालकों के लिए **"बीडीएल कार्यपालक अधिवर्षिता पश्चात चिकित्सा लाभ (पी सी एम बी-II) योजना"** की सदस्यता के लिए नामांकन.

Sub: Enrolment to become a member of the "**BDL Executives Post Superannuation Medical Benefit (PSMB-II) Scheme**" for Executives retired after 01 Jan 2007.

संदर्भ : का. परि. सं. 06/2015 दि. 02-04-2015 का अनुलग्नक-I

Ref: Annexure-I to P.C. No. 06/2015 dated 02-04-2015

मैं अनुरोध करता हूँ कि 01 जनवरी, 2007 के बाद सेवानिवृत्त होने जा रहे कार्यपालकों के लिए लागू "बीडीएल कार्यपालक अधिवर्षिता पश्चात चिकित्सा लाभ (पी एस एम बी - II) योजना" की सदस्यता के लिए मेरे और मेरे पति/पत्नी (जो लागू नहीं उसे काट दें) के नाम नामित करें. मेरे / हमारे (जो लागू नहीं उसे काट दें) विवरण इस पत्र के परिशिष्ट - ए1 एवं ए2 में सूचित किए गए हैं. मैं निम्नलिखित प्रमाण-पत्रों की प्रतियाँ संलग्न कर रहा हूँ :

I request you to enroll me and my spouse (strike off the words not applicable) to become member(s) of the "**BDL Executives Post Superannuation Medical Benefit (PSMB-II) Scheme**" for Executives retired after 01 Jan 2007. My / our (strike off whichever is not applicable) particulars are indicated in Appendices – A1 and A2 to this letter. I am enclosing copies of the following Certificates (indicate below);

a)

b)

c)

d)

e)

2. पंजीकरण शुल्क के लिए रु. 100/- रु. 200/- (जो लागू नहीं उसे काट दें) का चालान / डीडी नं. .... दि. .... के रूप में संलग्न किया जाता है. नवीनतम कलर पासपोर्ट एवं स्टैंप आकार के फोटोग्राफ की एक-एक प्रति संलग्न की जाती हैं. [(सेवानिवृत्त अधिकारी के एक

पासपोर्ट एवं एक स्टैंप आकार के फोटो तथा पति / पत्नी के एक पासपोर्ट एवं एक स्टैंप आकार के फोटो (कुल चार फोटो)]

Further, Challan / DD No.___________ dated _______ towards the Registration Fee of Rs. 100/- / Rs.200/- (strike off whichever is not applicable) is enclosed. One copy each of recent colour passport size & stamp size photographs are also enclosed [(1 passport size & 1 stamp size photos of the retired Executive & 1 passport size & 1 stamp size photos of the Spouse (total 4 photos)]

धन्यवाद Thanking you,

भवदीय Yours truly,

(हस्ताक्षर Signature)

स्थान Place: | नाम Name:

दिनांक Date: | पता Address:

परिशिष्ट-ए1

01 जनवरी,2007 को या इसके बाद सेवानिवृ त कार्यपालकों की "बीडीएल कार्यपालक अधिवर्षिता उपरान्त चिकित्सा लाभ (पीएसएमबी-II) में नामांकन के लिए सेवानिवृ त कार्यपालक द्वारा दिए जाने वाले विवरण

PARTICULARS TO BE FURNISHED BY RETIRED EMPLOYEES FOR ENROLMENT INTO THE

"BDL EXECUTIVES POST SUPERANNUATION MEDICAL BENEFIT (PSMB-II) SCHEME" FOR EXECUTIVES RETIRED ON OR AFTER 01 JAN 2007.

नामांकन (एक का चयन करें) Enrolment of (Select one):

सेवानिवृ त कर्मचारी एवं पति/पत्नी
Retired Employee & Spouse ☐

केवल सेवानिवृ त कार्यपालक
Retired Employee alone ☐

सेवानिवृ त कार्यापालक के विधवा/ विधुर
Widow / Widower of retired employee ☐

निवृ त कर्मचारी की नवीवतम पासपोर्ट आकार की फोटो लगाएं तथा राजपत्रित अधिकारी या बीडीएल के किसी अधिकारी के नाम एवं मुहर के साथ साक्ष्यांकित करवाएं. Affix a recent passport size photograph of the Rtd. Employee here, and get it attested by a Gazetted Officer or any BDL Officer with Name & Seal.	सेवानिवृ त कर्मचारी के पति / पत्नी की नवीनतम पासपोर्ट आकार की फोटो लगाएं तथा राजपत्रित अधिकारी या बीडीएल के किसी अधिकारी के नाम एवं मुहर के साथ साक्ष्यांकित करवाएं. Affix a recent passport size photograph of the Spouse of the Rtd. Employee (if applicable) and get it attested by a Gazetted Officer or any BDL Officer with Name & Seal.

क्र.स Sl No.	विवरण (हितभागी द्वारा भरा जाए) Particulars (to be filled in by the beneficiary)				
वैयक्तिक वेवरण Personal Details :					
1	सेवानिवृ त कर्मचारी के नाम (मोटे अक्षरों में) Name of the Retired Empoyee (in Block Letters) :				
2	पूर्व स्टाफ न. (अधिवर्षिता के समय) Ex-Staff No. (at the time of superannuation) :				
3	जन्म तिथि Date of Birth (DD/MM/YY) :		4	आयु Age :	____________वर्ष Years_________ महीने Months _____दिन Days
5	पति/पत्नी का नाम				
6	जन्म तिथि Date of Birth (DD/MM/YY) :		7	पति/पत्नी की आयु Age of Spouse :	______वर्ष Years______महीने Months _____दिन Days
8	स्थाइ पता Permanent Address :			सप्रेषण के लिए पता Address for Communication	

9	पिन कोड PIN Code :	पिन कोडPIN Code :	
10	फोन नं (एस टी डी कोड के साथ कोन नं.) Phone No. (Land Line with STD Code):	मोबाईल नं Mobile No. :	
11	ई-मेल आई डी E-mail-id :		
बैंक विवरण Bank Details :			
12	खाता नं Account No. :		
13	बैंक एवं शाखा का नाम Name of the Bank & Branch :		
14	शाखा का आई एफ एस कोड IFS Code of the Branch :		
कमेचारी के सेवा विवरण Service particulars of the Employee :			
15	बीडीएल में भर्ती होने की तिथि Date of Joining BDL :	16	बीडीएल से सेवानिवृत होने की तिथि Date of Retirement from BDL :
17	बीडीएल में कुल सेवाकाल Total years of service in BDL : वर्ष Years माह Months		
18	सेवानिवृत्ति का माध्यम (जो लागू नहीं उसे काट दें)Retirement Mode (Strike off which ever is not applicable)	अधिवर्षिता/स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति / वैकल्पिक सेवानिवृत्ति/ दीर्घ अस्वस्थता के कारण सेवामुक्त / इस्तीफा / सेवा बरखास्तगी/ मृत्यु (मृत कर्मचारी के पति/पत्नी के संबंध में) / अन्य Superannuation / Voluntary Retirement / Optional Retirement / Terminated on account of Continued ill-health / Resignation / Dismissal from Service / Death (in case of spouse of deceased employee) / Other.	
	अन्य कोई कारण हो तो सूचित करना Indicate the reason if "Other"		

जारी Contd...2

19	बीडीएल से सेवानिवृत्तहोते समय पदनाम एवं ग्रेड Designation and Grade at the time of Leaving BDL:	पदनाम एवं ग्रेड Designation and Grade :		
20	अंत में कार्यरत प्रभाग / कार्यालय एवं विभाग Division / Office & Dept. in which last worked :	प्रभाग / कार्यालय Division / Office :		
		विभाग Dept. :		
पति/पत्नी के सेवा विवरणService particulars of Spouse :				
21	संगठन जहाँ पति/पत्नी कार्यरत है Organisation in which spouse is employed :			
22	क्या पूर्व-कार्यपालक के पति/पत्नी या संतान की कंपनी में लागू चिकित्सा लाभ योजना की व्याप्ति में आते हैं. Whether the Ex-employee is covered under the Medical Benefit Scheme, if any, applicable to his / her spouse or children from his/ her Company :	हाँ / नहीं Yes / No (जो लागू नहीं उसे काट दें) Strike off whichever is not applicable)	यदि हाँ, तो उसकी आर्थिक सीमा If yes, Monetary ceiling for the same	
पंजीकरण शुल्क का भुगतान Payment of Registration Fee :				
24	चालान / डीडी नं Challan / DD No. : बैंक Bank:	25	तिथि Date :	

<u>घोषणा Declaration :</u> घोषणा की जाती है कि मेरी अन्यतम जानकारी के अनुसार दिए गए सभी विवरण सही एवं सच है. यदि उपर्युक्त जानकारी में कुछ गलत साबित हुआ तो प्रबंधन मेरे प्रति किसी भी प्रकार की कार्रवाई करने स्वतंत्र है.

I declare that the given details are true and correct to the best of my knowledge. In case if any of the above details are found to be false, the Management is at liberty to take any action against me.

(पूर्व-कर्मचारी के हस्ताक्षर,नाम एवं तिथि सहित
Signature of the Ex-employee with Name & Date)

(पति / पत्नी के हस्ताक्षर, नाम एवं तिथि सहित)
Signature of the Spouse with Name & Date)

परिशिष्ट - ए1 में सूचित विवरण के समर्थन में दस्तावेजों की सूची

List of supporting Documents in respect of the particulars indicated in Appendix-A1*

निम्नलिखित दस्तावेजों की स्व-साक्ष्यांकित प्रतियाँ नामांकन फार्म के साथ संलग्न की जानी है:

Self attested Copies of Documents as indicated below, are required to be enclosed with the enrolment form:

क्र.सं. Sl.No.	मानदण्ड Criteria	आवश्यक प्रमाण-पत्रों की प्रतियाँ Copies of Certificate required	पूव-कार्यपालक द्वारा प्रस्तुत प्रमाण-पत्र (पत्रों) सूचित करें Indicate Certificate(s) produced by the Ex-Executive
1	नाम, पता, जन्म तिथि एवं फोटोग्राफ का प्रमाण Proof of Name, Address, Date of Birth & Photograph	1) सेवानिवृत्त कार्यपालक Retired Executives employees: नाम, पता, जन्म तिथि एवं फोटो सूचित करने वाले वोटर आई डी कार्ड / रेशन कार्ड / ड्रैविंग लैसेंस / पासपोर्ट / आधार कार्ड या अन्य फोटो आई डी कार्ड (सरकार या सरकारी अभिकरण द्वारा जारी) की प्रति Copy of Voter ID card / Ration Card / Driving Licence / Passport / Aadhar Card or any other Photo ID Card(issued by Govt. or Govt. Agencies) indicating Name, Address, Date of Birth & Photograph.	
		2)पति / पत्नी Spouses: नाम, पता, जन्म तिथि, फोटो, कार्यपालक के पति / पत्नी का नाम सूचित करने वाले फोटो पहचान पत्र. यदि पहचान पत्र में रिश्ते का उल्लेख नहीं किया जाता है तो पंचायत / नगरपालिका / निगम प्राधिकरण द्वारा जारी रिश्ता प्रमाण-पत्र संलग्न करना होगा. Photo ID Card indicating Name, Address, Date of Birth, Photograph, Name of Spouse and relationship with the retired Executive. If the relationship is not mentioned in the ID Card, a Relation Certificate from Panchayat / Municipal / Corporation Authorities is also to be enclosed.	
2	बीडीएल में सेवा के विवरण Service particulars in BDL	i) नियुक्ति तिथि, कार्यमुक्ति तिथि, कार्यमुक्ति माध्यम इत्यादि सूचित करते हुए बीडीएल द्वारा जारी कोई भी प्रमाणपत्र / पत्र, कार्यमुक्ति आदेश एवं सेवा प्रमाण-पत्र इस प्रयोजन के लिए प्रस्तुत किए जा सकते हैं. Any Certificate(s) / Letter(s) issued by BDL indicating Date of Joining, Date of relieving, Mode of Relieving etc., Relieving letter & Service Certificate can be submitted for this purpose. -- ii) कार्यपालक जिनका सेवाकाल बीडीएल में पंद्रह साल से कम है, वे, यदि लागू हो तो अन्य सीपीएसयू से सेवा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं. 01 जनवरी, 2007 को या इसके बाद सेवानिवृत्त कार्यपालक के संबंध में सीपीएसई में 15 साल का सेवाकाल रहना अनिवार्य है. In respect of those ex-executives with less than 15 years of service in BDL, experience certificate from other CPSEs, if applicable to be produced. The total service in continuity in CPSEs should be 15 years or more in respect of Executives retired on or after 01 Jan 2007. -- iii) पूर्व-कार्यपालक की विधवा को क्र.सं. 2(i) एवं (ii) में उल्लिखित आवश्यक दस्तावेज, जैसे आवश्यक हो, प्रस्तुत करना होगा.	

		Widows of ex-Executives also need to submit the requisite documents at Sl. No. 2 (i) & (ii) as applicable. -- iv)सेवाकाल के दौरान मृत्यु प्राप्त कार्यपालकों की विधवा को कंपनी द्वारा जारी किसी भी एक दस्तावेज को इस संबंध में प्रस्तुत करना होगा. Widows of Executives who died while in service need to submit any document issued by the company in this regard. -- v) बीडीएल में भर्ती होने से पूर्व अन्य सीपीएसई में सेवाकाल से संबंद्ध दस्तावेज जिसमें सेवाकाल की अवधि सूचित की गई हो (बीडीएल में सेवाकाल 15 साल से कम होने पर ही इसकी आवश्यकता है) Document(s) in respect of service in CPSE(S) before joining BDL, indicating the period of Service (necessary only if period of Service in BDL is less than 15 years)	

* मृत्यु एवं लगातार अस्वस्थता के कारण सेवामुक्ति के संदर्भ को छोड़कर 1 जनवरी, 2007 को या इसके बाद सेवानिवृत्त होने जा रहे कार्यपालकों के नामांकन के लिए सीपीएसई में पंद्रह साल की निर्बाध सेवा अनिवार्य है.

Minimum of 15 years service in continuity in CPSEs in mandatory for enrollment in respect of Executives retired on or after 01 Jan 2007, except in cases of death and termination on the grounds of continued ill-health.

इस संबंध में यदि कोई प्रश्न हो तो कल्याण विभाग से संपर्क करें.
For any further queries in this regard, Welfare Department may be contacted.

(पूर्व-कार्यपालक के नाम एवं तिथि सहित हस्ताक्षर
Signature of the Ex-Executive with Name & Date)